[18/3/2021] (19)

प्रश्न सं. [क्र. 5408]

रोजगार संचालनालय,मध्यप्रदेश

परिशिष्ट–एक

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग रोजगार विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश दिनांक– 07.03.2017 के द्वारा जन निजी भागीदार (पीपीपी) के आधार पर प्रदेश के 15 रोजगार कार्यालयों यथा – भोपाल, सिंगरोली, धार, खरगोन जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल, सतना, कटनी, सागर, देवास, होशंगाबाद एव इन्दौर को प्लेसमेंट सेंटर के रूप में उन्नयन एवं आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया गया है। जन निजी भागीदार (पीपीपी) द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जायेंगेः–

स.क्र.	कार्य	अद्यतन स्थिति
1	आधुनिक सुसज्जित 15 प्लेसमेंट सेंटर की स्थापना	पूर्ण
2	कॉल सेन्टर की स्थापना	पूर्ण एवं सतत प्रक्रिया
3	सेन्ट्रल मानीटरिंग यूनिट की स्थापना एवं रखरखाव	पूर्ण एवं सतत प्रक्रिया
4	आवेदकों का पंजीयन व नवीनीकरण कार्य।	सतत प्रक्रिया
5	साफ्ट स्किल ट्रेनिंग	सतत प्रक्रिया
6	जॉब फेयर का आयोजन	सतत प्रक्रिया
7	कैरियर काउंसिलिंग का आयोजन (ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन)	सतत प्रक्रिया
8	एम.पी रोजगार पोर्टल का संचालन, उन्नयन एवं रख रखाव	पूर्ण एवं सतत प्रक्रिया

उप संचालक
रोजगार संचालनालय, मध्यप्रदेश

रोजगार संचालनालय,मध्यप्रदेश

परिशिष्ट–दो

प्रदेश के रोजगार चाहने वाले आवेदकों का रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

अनुबंध का वर्ष	उच्च वैतनिक नियोजन	सामान्य नियोजन	कुल नियोजन
1	2,500	22,500	25,000
2	7,500	67,500	75,000
3	10,500	90,500	1,00,000
4	11,000	99,000	1,10,500
5	12,000	1,08,000	1,20,000
6	13,000	1,17,000	1,30,000
7	14,000	1,26,000	1,40,000
8	15,000	1,35,000	1,50,000
9	16,000	1,44,000	1,60,000
10	17,000	1,53,000	1,70,000

नोट :–उच्च वैतनिक नियोजन से तात्पर्य यह है कि आवेदक को प्रतिवर्ष कम से कम 2 लाख वेतन प्राप्त हो।

उप संचालक
रोजगार संचालनालय, मध्यप्रदेश